

लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स मो० शाहजहाँ आलम, ग्राम—सुढ़नी, पो०—सोलरा, जिला—गया द्वारा गया जिला के अंचल—टेकारी, गया मोरहर—19 बालू घाट, ग्राम—सिंगापुर और कुसाप, मोरहर नदी का क्षेत्रफल—53.0 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक—28.09.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, टेकारी, जिला—गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर०. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या— SIA/1(a)/1041/2020, दिनांक—21.07.2020 के आलोक में श्री सुमन कुमार, उप—विकास आयुक्त, गया की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक—1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक—23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस. एन. झा, सहायक पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा० जतीन श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना अर्ध यांत्रिक (semi mechanized) आधारित है अतः खनन एवं ढुलाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाना अनुमोदित है। किसी प्रकार की विस्फोटक की आवश्यकता नहीं है। परियोजना की राशि की कुल लागत का 2 प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व मद में रखा गया है जो बिहार सरकार द्वारा अनुमान्य है। परियोजना में कुल 26 कामगारों की आवश्यकता होगी जिनकी भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जायेगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बालू ढुलाई वाले सड़कों का रख—रखाव भी परियोजना प्रस्तावक सुरक्षित करेंगे। खनन कार्य पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के मानकों को अनुरूप बनाये रखने के लिए ग्रामीण इलाकों तथा खनन क्षेत्र के मध्य सघन छत्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा। रात्रि में हॉर्न का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा। प्रेशर हॉर्न का उपयोग वाहनों द्वारा नहीं किया जायेगा।

खनन कार्य एवं खनिज परिवहन में धूल—कणों का उत्सर्जन होता है जिसके नियंत्रण के लिए तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा तथा खनिज का परिवहन तिरपाल से ढक कर ही वाहनों का संचालन किया जायेगा। खनन क्षेत्र में उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होंगे अर्थात् पी.यू.सी. प्रमाणित होंगे। खनन बेंच बनाकर किया जायेगा जिसकी ऊँचाई 1.5 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर निर्धारित है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। इससे लोगों को रोजगार, सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, साथ ही





विकास कार्य होगा। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पारदर्शिता के साथ खनन कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

1. श्री मोनू सिंह, पिता-श्री मनोहर सिंह, ग्राम-सिंगापुर, टेकारी, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि धूल-कण रोकथाम हेतु क्या उपाय किया जायेगा।

उत्तर- पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई के मार्गों पर दिन में तीन बार जल छिड़काव किया जायेगा। बालू की ढुलाई तिरपाल से ढककर ही किया जायेगा।

2. श्री चैतानन्द भारती, पिता-स्व० बनवारी दास, ग्राम-वैधविगहा, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या व्यवस्था है एवं सड़क क्षतिग्रस्त होने पर मरम्मत की जिम्मेवारी किसकी होगी।

उत्तर- पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु बालू ढुलाई के दौरान वाहनों का हार्न का उपयोग न्यूनतम किया जायेगा। साथ-ही यह भी बताया गया कि केवल पी.यू. सी. प्रमाणित वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा एवं खराब वाहनों का उपयोग नहीं किया जायेगा। सड़क की मरम्मत की जिम्मेवारी पट्टेधारक की होगी।

3. श्री रवि कुमार, पिता-श्री संजय दास, ग्राम-वैधविगहा, जिला-गया द्वारा पूछा गया कि बालू खनन क्षेत्र के बगल में स्थानीय लोगों को मुफ्त में बालू मिलेगा या नहीं। रैयती खेत में बालू आ जाने पर पट्टा संभव है या नहीं।

उत्तर- नियमानुसार मुफ्त में बालू देने का प्रावधान नहीं है। बालू का दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः सभी के लिए बालू का दर समान रहेगा। रैयती खेत में बालू आ जाने पर हटाने के लिए जिलाधिकारी, गया के पास आवेदन देकर तथा सहमति पत्र प्राप्त कर विभागीय प्रक्रिया पूरा करने के बाद खेतों से बालू हटाया जा सकता है।

सहायक पर्यावरण अभियंता, बि०रा०प्र०नि० पर्सद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ-ही-साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जायेगा ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। स्थानीय लोगों की शिकायतों का पूर्ण रूप से निष्पादन किया जायेगा। पट्टेधारक द्वारा सभी नियम एवं शर्तों का पूर्ण रूप से पालन कराया जायेगा। खनन कार्य से पर्यावरण को कोई क्षति न हो इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने-जाने के समय या भीड़-भाड़ होने के दौरान बालू की ढुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

SV




अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से कराया जायेगी। वाहनों से बालू ले जाते समय सड़क पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। उन्होंने उम्मीद जतायी कि पट्टाधारक द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा। हमलोग भी तत्पर रहेंगे।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।










Handh
28-9-20

सहायक पर्यावरण अभियंता
बि०.रा०.प्र०.नि०.पर्वद, गया।


28/9/20
उप-विकास आयुक्त
गया

उपस्थिति सूची

मे0 मो0 शाहजहाँ आलम, ग्राम-सुढ़नी, पो0-सोलरा, जिला-गया द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-टेकारी के मोरहर नदी पर मोरहर घाट-19 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, टेकारी, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 28.09.2020 (सोमवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1	सुधन कुमार	उप विरुद्ध मायुक्त, गया	 28/9/20
2	शत्रुघ्न नारायण मा सो वसुदेव नारायण	मि0 210 30 नि0 पर्वत 4211	 28-9-20
3	डॉ. धनराम मा	य. निडरस, खा. रंगम. गया	 28-09-20
4	JYOTISH KUMAR	PATNA	
5	Dr. Jatin K. Srivastava Consultant	Lucknow - 226012 UP	
6	मि0 मीरजा अली	उदर-सोहरा-पर्वत गया	मि0 मीरजा अली
7	Chandam	Teheri	
8	सुधन कुमार	बेहरिया	
9	सुधन कुमार	बेहरिया	
10	अरिक्तेषा सिंह	गहरपुर	
11	Rishav-kumar	Behariya	Rishav-kumar
12	मि0. कुमा	बेहरिया	मि0. कुमा
13	पिन्डु कुमा	बेहरिया	पिन्डु कुमा
14	Deepak kr	Teheri	Deepak kr

